

प्र. सं. 64/2024 विविध अनवानी अनिल कुमार बनाम स्टेट
जरिये थानाधिकारी पु. थाना भादरा

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

02.05.2024

अभिभाषकगण उपस्थित। वाहन मालिक शिशराम पुत्र मंगलाराम निवासी चिडावा, तहसील चिडावा जिला झूझुनू ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.05.2024 की पालना में जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ18-GC-4285 को सुपुर्दगी में लेने हेतु 3 लाख का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर राशि का जमानतनामा सशर्त सहित आज दिनांक 02.05.2024 को पेश किये है। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा को तस्दीक किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा की शर्तें निम्नानुसार है:-

1. सुपुर्दगी हेतु स्वयं मालिक के उपस्थित होने पर ही सुपुर्दगी प्रदान की जायेगी।
2. जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ18-GC-4285 को किसी अन्य को रहन बैय, किसी प्रकार से अन्तरित तथा खुर्द नहीं करेगा।
3. जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ18-GC-4285 के रंग रूप तथा आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।
4. न्यायालय द्वारा जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ18-GC-4285 को तलब करने पर सुपुर्दगीदार स्वयं के खर्चे पर न्यायालय में पेश करेगा।
5. जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ18-GC-4285 की आगे पीछे की रंगीन दो फोटो पेश करेगा।
6. जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ18-GC-4285 के इंजिन नम्बर व चैसिस नम्बर ट्रेस कर अपने हस्ताक्षरों सहित पेश करेगा।
7. वाहन की पंजीयन कॉपी व एक प्रमाणित प्रति।
8. थानाधिकारी पुलिस थाना, भादरा द्वारा दिनांक एफ.आई.आर. सं. 26 दिनांक 17.01.2024 में वजह सबूत जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ18-GC-4285 की सुपुर्दगी इस प्रार्थना पत्र की हद तक रहेगी। जब्तशुदा वाहन का अंतिम निस्तारण न्यायिक न्यायालय (Judicial Court) के निर्णय के अधधीन रहेगा।

अतः थानाधिकारी पुलिस थाना, भादरा को आदेश दिये जाते हैं कि एफ.आई.आर. सं. 26 दिनांक 17.01.2024 में जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ18-GC-4285 का न्यायिक न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में जांच आदि हेतु वाहन की आवश्यकता ना हो तो उक्त जब्तशुदा वाहन के इंजिन नम्बर व चैसिस नम्बर ट्रेस कर वाहन की पंजीयन कॉपी से मिलान होने पर ही वाहन मालिक शिशराम पुत्र मंगलाराम निवासी चिडावा, तहसील चिडावा जिला झूझुनू को नियमानुसार सुपुर्द कर दिया जाये। वाहन के इंजिन नम्बर व चैसिस नम्बर ट्रेस कर प्रमाणित प्रति इस न्यायालय को भिजवायें। आदेशिका की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना, भादरा को जरिये पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

51

(काना राम)

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

शिशराम

अनिल

अनिल

